न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. अजाराम माली पुत्र श्री बूपाराम माली, जाति- माली,
   निवासी- रुपावा बस स्टेण्ड के पास, कैलाशनगर, जिला- सिरोही
   (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्म:- सारणेश्वर टी स्टॉल एण्ड मिष्ठान भण्डार, रुपावा बस स्टेण्ड, कैलाशनगर, सिरोही

2. नविन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जवारी लाल, निवासी-198, वीर दुर्गा दास नगर,
   सूरजपोल, नेशनल पार्क, पली, पाली (राजस्थान)
   (एफ.बी.ओ. एवं सप्लायर)

फर्म:- Shree Parshwanath Trading Company,
9-10, Near Ambedkar Circle, Pali-Marwar-306401

3. नविन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जवारी लाल, निवासी-198, वीर दुर्गा दास नगर,
   सूरजपोल, नेशनल पार्क, पली, पाली (राजस्थान)
   (एफ.बी.ओ. एवं प्रोपराईटर निर्माता फर्म)

फर्म:- Shree Parshwanat Enterprises,
53-54, Laxmi Industrial Estate, Pali-306401

प्रकरण संख्या: 08/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अजाराम माली स्वयं
3. प्रतिवादी नविन्द्र कुमार जैन (प्रतिवादी संख्या 2 व 3)

-: निर्णय :- दिनांक 24 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 28.5.2019 को समय 1.00 पी.एम. पर फर्म सारणेश्वर टी स्टॉल एण्ड मिष्ठान भण्डार, रुपावा बस स्टेण्ड, कैलाशनगर, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति अजाराम माली पुत्र बूपाराम माली, जाति- माली निवासी- रुपावा बस स्टेण्ड के पास, कैलाशनगर, जिला- सिरोही है एवं फर्म सारणेश्वर टी स्टॉल एण्ड मिष्ठान भण्डार पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम

...पेज दो पर

जनता को आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर डीपफ्रीज में आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 ग्राम) में से आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 ग्राम) एक साफ सूखे एवं खाली भिगोने में लिये एवं आइसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड)की कीमत राशि रुपये 275/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या ... खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए मूल ... आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड ... दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैंने स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। तत्पश्चात् खरीदशुदा आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के लेबल को पैकेट से अलग किया एवं आईसक्रीम को रुम टेम्प्रेचर तक पिघलाकर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ, सूखे एवं खाली जार दिखाकर, इन चारों जारों में आईसक्रीम को बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक जार में 24-24 बूंदे फार्मेलीन की डाली एवं जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। साथ ही, आइसक्रीम के पैकिंग लेबल को जार के साथ लगाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-955 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूने भाग को ... नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को ... में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफा को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक

....पेज तीन पर

29.5.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री महेन्द्र कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 28.5.2019 का ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- [illegible] लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही का आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा [illegible] सिरोही से उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स सनसिटी ब्राण्ड) की [illegible] प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ आईसक्रीम [illegible] ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-955 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असन्तुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन अजाराम माली एवं निर्माता फर्म ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर, [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने [illegible] अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं [illegible] सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.2.2020 को प्रतिवादी अजाराम माली ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रकरण नियत सुनवाई तिथि 19.2.2020 को प्रतिवादी संख्या [illegible] (रविन्द्र कुमार) स्वयं ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 (अजाराम माली) की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 28.5.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरोही श्री [illegible] द्वारा जिस आईसक्रीम चोको चिप्स का नमूना जांच के लिये लिया गया [illegible] रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया है। वो मैंने श्री पार्श्वनाथ [illegible] विक्रय के लिये प्राप्त किया था एवं मैंने पैकिंग अवस्था में ही नमून के लिए बेचा था। मैंने मेरी ओर से इसमें कुछ नही मिलाया था। मैंने आईसक्रीम का बिल भी प्रस्तुत किया था। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। भविष्य में इस प्रकार की आईसक्रीम बेचान नही

.....पेज चार पर

करूंगा। यह मेरी प्रथम गलती है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से [illegible]। प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (नविन्द्र कुमार) द्वारा लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 28.5.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] कुमार शर्मा द्वारा जो आईक्रीम चोको चिप्स का नमूना जांच के लिये [illegible] मिसब्राण्ड पाया गया। वह श्री पार्श्वनाथ इन्टरप्राईजेज [illegible] के अनुसार आईसक्रीम के लेबल पर कुछ कमी की [illegible] लेबल की गलती को ठीक [illegible] दिया है। आईसक्रीम [illegible] में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सिर्फ लेबल की कमी थी जो दूर [illegible] है। अतः मेरी प्रथम गलती मानते हुए प्रकरण को समाप्त करावें। भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करूंगा।

(3) प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 19.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (नविन्द्र कुमार जैन) को सुनाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित [illegible] किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको [illegible] ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की [illegible] धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत [illegible] अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। [illegible] 2 व 3 (नविन्द्र कुमार जैन) ने उसके द्वारा [illegible] ध्यान आकर्षित किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.5.2019 को 1.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म सारणेश्वर टी स्टॉल एण्ड मिष्ठान भण्डार रूपावा बस स्टेण्ड, कैलाशनगर, जिला- सिरोही पर गये। वहां [illegible] टी स्टॉल एण्ड मिष्ठान भण्डार में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत [illegible] माली पुत्र श्री रूपाराम माली जाति- माली, निवासी रूपावा बस स्टेण्ड के पास कैलाशनगर जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले [illegible] चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने [illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने [illegible] करते हुए उसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली को उपस्थित गवाह श्री हजारीमल माली पुत्र श्री मांगीलाल माली, निवासी- भीमगिरी जी बस्ती, कैलाशनगर, जिला- सिरोही एवं श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान के अन्दर डिपफ्रिज में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के 4 पैकड पैकेटों (प्रत्येक

700 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी [illegible] के 4 सीलबन्द पैकेट (प्रत्येक 700 ग्राम) को एक साथ, सूखे एवं साफ [illegible] उसकी कीमत राशि रुपये 275/- (अक्षर रुपये दो सौ पिचहत्तर [illegible]) खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली को अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-955, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना [illegible] अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] किये। [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी [illegible] से अलग किया एवं आईसक्रीम को [illegible] टम्प्रेचर में [illegible] खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे प्लास्टिक के जार दिखाये [illegible] आईसक्रीम को बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक जार में 24-26 [illegible] डालकर इन चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक [illegible] पर एक-एक [illegible] में चिपकाया। साथ ही, खरीद शुदा आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल का नमूना जार पर टेप से चिपकाया। फिर चारों नमूना जारों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-955 को नियमानुसार गोद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली व उक्त गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। [illegible] फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा [illegible] पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य [illegible] है कि [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] टी स्टाल एण्ड मिष्ठान [illegible] कैलाशनगर, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता अजाराम माली से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों [illegible] नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को [illegible] कवर में

[illegible]

बंद किया व धागे में बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। साथ ही फार्म नम्बर-6 की दो दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों [illegible] चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.5.2019 को [illegible] की एक भाग मय फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, वाड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही को दिनांक 28.5.2019 [illegible] को जमा [illegible]। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-955 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत [illegible] जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S. 439/Act/2019/484 दिनांक 04.6.2019 के [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सारणेश्वर टी स्टाल एण्ड मिष्ठान [illegible], कैलाशनगर, जिला- सिरोही से खाद्य [illegible] क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी [illegible]) नमूना संख्या S-955 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है- जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के पैकिंग लेबल पर Best before को small letters में अंकित किया है एवं लेबल पर List of ingredients में [illegible] का प्रतिशत मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया एवं आईसक्रीम में जिस [illegible] का उपयोग किया गया है, उसका उल्लेख भी लेबल नहीं किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह [illegible] है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक [illegible] 1958-61 दिनांक 11.6.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 [illegible] [illegible] Shree Parshwnath Enterprises को [illegible] रिपोर्ट [illegible] किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 [illegible] की उक्त फर्म सारणेश्वर टी स्टाल एण्ड मिष्ठान भण्डार, कैलाशनगर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) को फर्म श्री पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बेडकर सर्कल के पास, पाली से बिल दिनांक 25.5.2019 से क्रय किया था, जो प्रतिवादी संख्या-2 (नविन्द्र कुमार जैन) की फर्म है तथा उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोको चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) की निर्माता फर्म श्री पार्श्वनाथ एन्टरप्राईजेज, 53-54, लक्ष्मीण इण्डस्ट्रीज एस्टेट, पाली है, जिसके प्रोपराईटर भी प्रतिवादी [illegible] कुमार जैन ही हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माता फर्म Shree Parshwanath Enterprises, 53-54, Laxmi Industrial Estate, Pali-306401 ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य

[illegible] सात पर

खाद्य आईसक्रीम (चोका चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चोका चिप्स)(सनसिटी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु निर्माता फर्म Shree Parshwanat Enterprises, 53-54, Laxmi Industrial Estate, Pali-306401 [illegible] व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [illegible] प्रतिवादी संख्या- 1 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार [illegible] क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 [illegible] कुमार जैन पुत्र श्री जवारी लाल, निवासी- 198, वीर दुर्गादास नगर, [illegible] पार्क, पली, पाली, प्रोपराईटर, फर्म Shree Parshwanat Enterprises, 53-54, Laxmi Industrial Estate, Pali-306401 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, श्री नविन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जवारी लाल, निवासी- 198, वीर दुर्गादास नगर, सूरज पोल, नेशनल पार्क, पली, पाली, प्रोपराईटर, फर्म Shree Parshwanat Enterprises, 53-54, Laxmi Industrial Estate, Pali-306401 को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft [illegible] शाखा से प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये [illegible]

(प्रतिभा [illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:59:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: